न्यायालयः – पुष्पराज सिंह उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर, जिला छिंदवाडा, म.प्र. समरी प्रकरण क्र.157/2021 संस्थित दिनांक 08-03-2021 फाइलिंग नं-sum/404/2021

म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी वृत्त सौंसर,
जिला छिंदवाडा, म.प्र. । -----अभियोजन
//विरुद्ध//
ग्यासकली पति परसू, उम्र 46 वर्ष,

निवासी-वार्ड नं- 1, बिछुआ, जिला छिंदवाडा ।

-----अभियुक्त

//निर्णय//

(आज दिनांक 08-03-2021 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 01. अभियुक्त पर धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का यह अभियोग कि उसने दिनांक 02-02-2021 को लगभग 15.05 बजे वार्ड नं- 11, बिछुआ, आबकारी वृत्त सौंसर क्षेत्रान्तर्गत 5 लीटर कच्ची शराब को अवैध रुप से अपने कब्जे में रखा।
- 02. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय कि अभियुक्त ने अपराध की विशिष्टयाँ सुनने के उपरांत स्वेच्छ्या से अपराध की स्वीकारोक्ति की है।
- 03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार कि सी.एम. हेल्पलाईन पर अनुसंधानकर्ता को सूचना मिलने पर वार्ड नं 11 बिछुआ स्थित ग्यासकली के मकान की तलाशी लेने पर उसके पास 5 लीटर कच्ची शराब होना पाया गया । अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ग्यासकली पति परसू बताया । पंचानों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
- 04. प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्न हैं कि –
 01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02–02–2021 को लगभग 15.05 बजे वार्ड नं– 11,
 बिछुआ, आबकारी वृत्त सौंसर क्षेत्रान्तर्गत 5 लीटर कच्ची शराब को अवैध रुप से अपने कब्जे में रखा।

०२. दण्डादेश ।

//विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निष्कर्ष //

- 05. अभियुक्त ने अपराध की स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है, अतः उसकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने दिनांक 02-02-2021 को लगभग 15.05 बजे वार्ड नं-11, बिछुआ, आबकारी वृत्त सौंसर क्षेत्रान्तर्गत 5 लीटर कच्ची शराब को अवैध रुप से अपने कब्जे में रखा।
- 06. अतः अभियुक्त को उसके द्वारा की गई स्पष्ट स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। 07. अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है –

क्र.	अभियुक्त का नाम	धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम	कारावास		जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास
1	ग्यासकली पति परसू	34 (1)(ক)	न्यायालय उठने तक	500	15 दिवस

08. प्रकरण में जप्तशुदा 5 लीटर कच्ची शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे ।

09. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर हस्ताक्षरित दिनांकित मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित

(पुष्पराज सिंह उइके) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, जिला छिंदवाडा, म.प्र. (पुष्पराज सिंह उइके) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, जिला छिंदवाडा, म.प्र.